विचार बिन्दु

सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो किन्तु किसी को दुःख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। - भगवान श्रीकृष्ण

I.N.D.I.A बनाम इंडिया बनाम इंडिया That is भारत

I.N.D.I.A का पूरा नाम इंडियन नेशनल डवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस है। कांग्रेस ने लगभग 26 राजनीतिक पार्टियों का एक गठबंधन बनाया है जिसका मुख्य उद्देश्य है मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने संसार के सभी देशों के साथ काम करते हुए यश प्राप्त किया है और भारत को विकसित देशों के साथ खड़ा किया है, उन्हें 2024 के चुनाव में हराना है। I.N.D.I.A का संचालन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। कहा जाता है इसके अध्यक्ष और संयोजक का सर्वसम्मत चुनाव शीघ्र होने जा रहा है। इस गठबंधन ने गर्व से घोषणा की है कि I.N.D.I.A ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। भाजपा और आरएसएस का तो स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई अस्तित्व ही नहीं था। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भारत शब्द का ही प्रयोग किया है, किंतु गठबंधन का नाम तो इंडिया ही है।

भारत के संविधान में देश को राज्यों का एक समूह कहा है और इसका नाम इंडिया, That is भारत अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार देश के दो नाम कर दिए है यानी इंडिया तथा भारत। संसार में किसी भी देश (राष्ट्र) के दो नाम उसके संविधान में नहीं है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र का नाम उस देश की संस्कृति, सभ्यता व अस्मिता को परिलक्षित करता है। वहां के नागरिकों को उसके इतिहास के प्रति गौरव की याद दिलाता है। कहा जाता है नाम में बदलाव करने से जनता में क्रोध उत्पन्न होता है और वह सियासी दंगल का कारण बन जाता है। जैसा ऊपर लिखा है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के द्वारा I.N.D.I.A का नाम देने पर संघर्ष छिड़ चुका है। संविधान में देश के नाम इंडिया पर पहले ही विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और अब यह विवाद केंद्र सरकार के पास एक याचिका में लंबित है।

अंग्रेजों ने छद्म रूप से व्यापारी के रूप में आकर देश को अपने राज्य का हिस्सा बनाया। देश भारत और हिंदुस्तान के रूप में चर्चित रहा है व इंडस वैली की सभ्यता के रूप में पहचाना जाता रहा है। ऐसे में अंग्रेजों ने इस इंडस वैली के लिए लेटिन में प्रयोग होने वाले नाम को ही देश का नाम इंडिया दे दिया। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इंडिया का शाब्दिक अर्थ है असभ्य, जंगली व अपराधी प्रवृत्ति के लोग। अमेरिका के रेड इंडियन ऐसे ही थे और इसी अर्थ में देश के निवासियों को इंडियन व देश को इंडिया नाम दे दिया गया। यदि हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के विभिन्न संस्करणों को अध्ययन करें तो आपको अंग्रेजों की दूषित मनोवृत्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देगी, जो आपकी आंखें खोल दे। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के पुराने संस्करण में 1900 वीं सेन्चुरी के पृष्ठ 789 में इंडियन का अर्थ यह कह कर दिया है, ये वे लोग हैं जो Old Fashion (रूढ़िवादी) और आपराधिक प्रवृत्ति के बिना पढ़े-लिखे लोग हैं। इसके विपरीत भारत की सभ्यता अति-प्राचीन है। भारत विश्व-गुरू रहा है। "भारत" शब्द को समझने के लिए इसके अक्षर "भा" व शब्द "रत" को समझना होगा। "भा" का अर्थ है धर्म या ज्ञान और "रत" का अर्थ है लीन होना। यानी भारत का अर्थ है वह देश जहां के लोग धर्म व ज्ञान में लीन है या यों कहे कि वे ज्ञान की खोज में हैं।

इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसके बाबत् कई विचारधाराएं हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा गया है। यूनानियों और इरानियों ने इसे हिंडोस या इंडोस कहा है। इसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व की भूमि से है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर-पश्चिम में रहने वाले लोगों की भूमि के लिए किया गया था।

इंडिया को भारत व हिंदुस्तान के नाम से अंग्रेजों के आगमन से पूर्व कहा जाता रहा है। यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। भारत भूमि के अलग-अलग नाम रहे हैं। जम्बूद्वीप, भारतखण्ड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिन्द, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। हिंदुस्तान नाम हमारी गंगा-जमुनी सभ्यता है। सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों ने इसे सिंधु की जगह हिंदू कहा।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 1934 के एडिशन में Indian का अर्थ इंडियाना की संतान कहा है। यों इंडियन का अर्थ है belonging to its people or or culture or person belonging to इंडिया or person from India or whose family comesfrom India or a member of one of indigenous (original) people.

सच यह है कि नेटिव अमेरिकन भी अपने को इंडियन कहलाना पसंद नहीं करते। भारत को इंडिया का नाम देना ब्रिटिश एम्पायर की ही देन है। यह गुलामी का प्रतीक है। इंडियन शब्द का अर्थ है हरामी संतान, उस दम्पत्ति की संतान जिसका विवाह चर्च में न होने से नाजायज है। अंग्रेजों के समय सार्वजनिक स्थानों व सिनेमाघरों की इमारत पर बोर्ड लगाकर यह लिखा जाता था "Dogs and Indians are not allowed" ऐसा भी कहा जाता है किसी समय वहां के नागरिकों को इंडियन कहना कानूनी अपराध था। यू.के. में 1.5 मिलियन्स ब्रिटिश इंडियन रहते थे।

अंग्रेजों ने छद्म रूप से व्यापारी के रूप में आकर देश को अपने राज्य का हिस्सा बनाया। देश भारत और हिंदुस्तान के रूप में चर्चित रहा है व इंडस वैली की सभ्यता के रूप में पहचाना जाता रहा है। ऐसे में अंग्रेजों ने इस इंडस वैली के लिए लेटिन में प्रयोग होने वाले नाम को ही देश का नाम इंडिया दे दिया। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इंडिया का शाब्दिक अर्थ है असभ्य, जंगली व अपराधी प्रवृत्ति के लोग। अमेरिका के रेड इंडियन ऐसे ही थे और इसी अर्थ में देश के निवासियों को इंडियन व देश को इंडिया नाम दे दिया गया। यदि हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के विभिन्न संस्करणों को अध्ययन करें तो आपको अंग्रेजों की दूषित मनोवृत्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देगी, जो आपकी आंखें खोल दे। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के पुराने संस्करण में 1900 वीं सेन्चुरी के पृष्ठ 789 में इंडियन का अर्थ यह कह कर दिया है, ये वे लोग हैं जो Old Fashion (रूढ़िवादी) और आपराधिक प्रवृत्ति के बिना पढ़े-लिखे लोग हैं। इसके विपरीत भारत की सभ्यता अति-प्राचीन है। भारत विश्व-गुरू रहा है। "भारत" शब्द को समझने के लिए इसके अक्षर "भा" व शब्द "रत" को समझना होगा। "भा" का अर्थ है धर्म या ज्ञान और "रत" का अर्थ है लीन होना। यानी भारत का अर्थ है वह देश जहां के लोग धर्म व ज्ञान में लीन है या यों कहे कि वे ज्ञान की खोज में हैं।

जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के चक्रवर्ती पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष रखा गया था। वर्ष का अर्थ है भूमि। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका अर्थ है भरत का काल वेदों से पूर्व का है। निम्न संदर्भ से स्पष्ट होगा कि भारत भूमि को भारतवर्ष कहा था :-

"वर्ष तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति:" इसका अर्थ है समुद्र के उत्तर और हिमायल के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और भू-भाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान भारती है। भारत नाम पुराणों व महाभारत में कई जगह पढ़ा जा सकता है।

कुछ समय पूर्व भारत शब्द को लेकर विवाद उस समय पैदा हुआ जब मोदी सरकार ने एक निमंत्रण पत्र में भारत शब्द का प्रयोग किया था। एक रात्रि भोज का निमंत्रण पत्र जी-20 समिट के समय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को भेजा था। कार्ड में उन्हें "भारत के राष्ट्रपति" द्वारा संबोधित किया गया था।

भारत शब्द का प्रयोग मत्स्य पुराण, बौद्ध और जैन पुराणों, ग्रंथों एवं महाभारत में मिलता है। विष्णुपुराण में इस भूमि को भारतवर्ष का नाम दिया है, वह इस प्रकार है, उत्तर यत समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चेव दक्षिणं। वर्ष तद भारततं नाम, भारती यत्र संतति। इसी प्रकार मार्कण्डेय पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण आदि में भारत की इस भूमि को भारतवर्ष कहा गया है।

जैसा ऊपर लिखा है कांग्रेस गठबंधन का संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A रखा गया है। इंडिया शब्द के नाम पर विरोध को देखते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इंडिया गठबंधन का नाम विकल्प रूप में भारत सुझाया। इसका फुल फॉर्म हिंदी में "Alliance for betterment Harmony and responsible Advancement of Tomorrow (Bharat) नाम सुझाया। शायद उन्हें भी I.N.D.I.A नाम से भारत को पुकारना उचित नहीं लगा होगा। कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप है कि वह इंडिया नाम के स्थान पर भारत करने के हेतु संविधान को खंड़ित करना चाहते हैं। संविधान निर्मात्री कमेटी की रिपोर्ट पर संसद में जो गंभीर बहस हुई, उसमें दो नामों का उल्लेख देश के नाम के संबंध में है, वे थे भारत व हिंदुस्तान। इस पर संसद में मतदान हुआ। पारित संविधान में देश का नाम इंडिया, That is भारत मिलता है। ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजी नाम इंडिया था तथा हिंदी में नाम भारत था। इंडियन पिनल कोड को भारतीय दण्ड संहिता तथा गर्वनमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत शासन अधिनियम, 1935 कहा गया। गांधीजी ने अंग्रेजों के विरूद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में "भारत माता की जय" का नारा दिया था। हमारे राष्ट्रगीत में इसे 'भारत' ही कहा गया है। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' का अनुवाद 'भारत की खोज' ही किया था, न कि इंडिया की खोज।

संविधान के अंग्रेजी संस्करण में देश का नाम इंडिया, That is भारत कहा है। इसका हिंदी अनुवाद होगा, भारत दैट इज भारत, किंतु हिंदी संस्करण में इसे इंडिया, दैट इज भारत किया गया है क्योंकि अनुवाद में यह भारत दैट इज भारत होगा। अत: अर्थहीन है। यह निर्विवाद सिद्धांत है कि Proper Noun का अनुवाद नहीं हो सकता। हम हीरालाल को Diamond Lal नहीं कह सकते। दिल्ली निवासी नमह नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका क्रमांक 422/2000 दायर की थी अथवा "मैं भारत हूं", संस्था ने जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदन प्रेषित किया, उसमें केवल यही प्रार्थना है कि अनुच्छेद 1 में इंडिया शब्द को निकालकर अर्थात् संशोधित कर, भारत का नाम, केवल भारत ही किया जावे। यहां पर यह लिखना समीचीन होगा कि इंग्लैण्ड ने जब देश को इंडिया नाम द्वारा पुकारा, उस समय और इससे पूर्व देश का नाम भारत ही था। इंडिया शब्द भारतीयों की भावना, सभ्यता, संस्कृति के गौरव, अतीत व इतिहास को नहीं दर्शा सकता। जबकि 'भारत' नाम हमें भगवान ऋषभ देव के काल की याद दिलाता है, जहां से सभ्यता का प्रारंभ हुआ। जब लोगों ने खेती करना सीखा और लिपि का ज्ञान कराया।

अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। यह किसी भी राज्य की बोली नहीं है। आठवी सूची में इसे कोई स्थान नहीं दिया गया है। संविधान को पढ़ने से भी स्पष्ट होगा कि अंग्रेजी को संविधान निर्माताओं ने कुछ समय के लिए ही स्वीकार किया था। हिंदी को राजभाषा माना था, चूंकि राष्ट्र शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं मिलता। गांधीजी ने इसे राष्ट्रभाषा मानने की वकालत 1918 में ही कर दी थी। हमारी नई शिक्षा नीति में राज्यों की भाषा में शिक्षा देने की सलाह दी है। हिंदी देश की राष्ट्र भाषा है। हमें संविधान में संशोधन कर इंडिया शब्द को निकालकर उपनिवेशवाद के कलंक को मिटाना ही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 ने स्पष्ट घोषणा की है कि संसद की भाषा 15 वर्षों के उपरांत केवल हिंदी रहेगी। यदि कोई सांसद हिंदी नहीं समझता है तो वह स्पीकर की अनुमति से अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 120 स्पष्ट घोषणा करता है कि 15 वर्षों के बाद यह माना जावेगा कि अंग्रेजी शब्द का उल्लेख अनु. 120 में था ही नहीं।

जन मन गण अधिनायक, भारत तेरी जय जय जय हो।

-अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश,
राजस्थान हाई कोर्ट

जनहित में 75 साल पुराने राजस्व कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता

महावीर सिंह

राजस्थान राज्य के अस्तित्व में आने के बाद विभिन्न रजवाड़ों के दमनकारी राजस्व कानूनों के स्थान पर 1952 से 1956 के बीच कई क्रांतिकारी राजस्व कानून बने। राजस्थान टिनेंसी एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट,जमींदारी व बिसवेदारी उन्मूलन एक्ट, उपनिवेशन एक्ट आदि कानून बने।इन कानूनों के माध्यम से मौके पर खेती करने वाले लोगों को भूमि मालिक बनाया गया। सरकार और कृषकों के मध्य अधिकारों, दायित्वों व विवादों के निस्तारण के प्रावधान रखे गए। जिस समय ये कानून बने उस वक्त जो प्रशासनिक तंत्र बना वह अधिकतर रजवाड़ों से आए अधिकारियों, कर्मचारियों से बना। इनमें से बहुत से लोग किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम नहीं आए। उस समय राजा, जागीरदारों की इच्छा ही नियुक्ति की सबसे बड़ी योग्यता थी। काफी संख्या में कर्मचारी, अधिकारी भी अपेक्षाकृत कम पढे लिखे, कानून के कम जानकार व दक्षता वाले थे। अब यह स्थिति बदल चुकी है। अब पटवारी, लैंड रिकार्ड इंसपेक्टर, तहसीलदार, अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आते है, किसी राजा,जागिरदार या अन्य बड़ी सिफारिश से नहीं। (अपवाद हो सकते हैं)

इन कानूनों में बहुत से ऐसे प्रावधान है जो उस समय की आवश्यकता थी। अब वे प्रसांगिकता खो चुके,उन्हें हटा दिए जाने चाहिए। जब ये कानून बने तब राजस्व विवादों को निपटाने के जो तंत्र बनाया गया था, वह भी जरूरी था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायते अस्तित्व में नही थी।छोटे मोटे मामले निपटाने के पहले स्तर पर तहसीलदार कार्यालय/न्यायालय ही था। अब पंचायती राज संस्थाएं बन चुकी है। उन्हें अब संवैधानिक दर्जा है। ग्राम पंचायतों के कार्यालय है, ईमेल, कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधा है, पटवारी, ग्रामसेवक (ग्राम विकास अधिकारी) बैठते है, रेगुलर मीटिंग्स होती है। अत: अब साधारण राजस्व मामले जैसे म्यूटेशन, सीमाज्ञान, जोत विभाजन, खेतों का एक्सचेंज, हक त्याग आदि के निर्णयों का प्रथम स्तर ग्राम पंचायत होना चाहिए। कोई असहमति हो, कोई पक्ष असंतुष्ट हो उसके लिए अपील का प्रावधान करें। ऊपर जो मामले गिनाए हैं, उनकी जमीनी वास्तविक जानकारी ग्राम पंचायत सदस्यों को ज्यादा होती है।

सरकार के स्तर पर यह तर्क दिया जा सकता है कि पंचायतों में पक्षपात, भ्रष्टाचार होगा। यह तर्क बेमानी है। 20, 25 साल में पंचायतीराज संस्थाओं ने अपनी प्रसांगिकता प्रमाणित की है। अनेक पंचायतें सही क्रय सम्पादन की मिसालें बन चुकी है। वैसे भी यह आरोप तो (सच्चे-झूठे) किसी कार्यालय, अधिकारी पर लगाए जा सकते हैं। क्या दूसरे दफ्तर इन बीमारियों से मुक्त हैं? ज्यादा सावचेती बरतनी हो तो प्रथमत: नगरिय व विकास प्राधिकरणों व उनके पेरफेरी क्षेत्रों आने वाले ग्रामों को ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सकता है, जहां ज्यादा विवादित, अधिक कीमती भूमियों के एक्सचेंज, हक त्याग आदि के मामले आ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए,उपरोक्त वर्णित मामलों वर्तमानं व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।

जोत एकीकरण आज की एक बड़ी समस्या है। 60,70 साल पहले जो बड़े खेत थे उनका विभंजन होते होते वे अब बहुत छोटे छोटे भूखंड रह गए। अनेक मामलों में एक किसान की जमीनें 1, 2, 3 किलोमीटर में बिखरी होती है। उन्हें मैनेज करना समय की बर्बादी है और किसान उन पर यथोचित विकास, नवाचार भी नही कर पाता। इसलिए बिखरी जोतों का एकीकरण कृषि विकास के लिए आवश्यक है। यह काम तहसील व दूसरी अदालतों में जाए, इसमें कोई तुक नहीं। ग्राम पंचायत स्तर पर ज्यादी जल्दी, आसानी से हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा भूमि क्षेत्रफल, किस्म आदि का उचित ख्याल रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस तय कर दी जाएं। एक्सचेंज, हक त्याग, रास्तों, बंटवारे आदि के मामलों में, पंचायत मुख्यालय पर पटवारी हाथों हाथ तरमीम करे और रिकार्ड में आवश्यक इंद्राज करे। वर्तमान एक्ट्स में प्रथम सुनवाई और अपील कोर्ट्स के प्रावधान भी बदलने चाहिए। उपर के अधिकारियों के अधिकार नीचे देने होंगे यथा तहसीलदार के बहुत से अधिकार पँचायतों को, उपखण्ड अधिकारी के अधिकार तहसीलदार को, कलेक्टरों के अधिकार उपखण्ड स्तर पर देने चाहिए। एक अन्य बड़ी समस्या राजस्व विवादों का सालों साल फैसला न होना। जो अधिकार राजस्व विवादों के निर्णय करने लगाए जाते है, उन्हें कलेक्टर्स अन्य मुत्फ़रिक प्रशासनिक कार्यों में लगा देते है और मुकदमों में तारिख दर तारीख बदलती रहती है। यह प्रथा रुकनी चाहिए। समय समय पर ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्पस लगाकर, अभियान चला कर, 2, 3 साल से पुराने प्रकरणों का निस्तारण अनिवार्य किया जाए। मुकदमे के विभिन्न स्टेजेज के लिए अधिक से अधिक 2, 3 अवसर देने का भी प्रावधान एक्ट्स में किय्या जाए।

अनुसूचित जातियों व जन जातियों की भूमियों की खरीदी, बेचने पर कई प्रतिबंध है। इन पर, इन वर्गों के हितधारकों से व्यापक चर्चा चर्चा कर यह जाना जाए कि क्या 75 साल पुराने इन प्रतिबंधों पर कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? मौके पर इन वर्गों के किसानों के पास भी बहुत छोटे छोटे भूखंड रह गए, जिन्हें या तो वे भी एक्सचेंज करना चाहते है या विक्रय करना चाहते है। उनकी भूमियों के खरीददार सीमित लोग होने से उन्हें अपनी भूमियों का सही मूल्य भी नही मिल पाता है। किंतु इनमें परिवर्तन करना संवेदनशील मुद्दा है,व्यापक विचारविमर्श की आवश्यकता है। एक अन्य मुद्दा जिस से अनेक किसान दुखी रहते है, वह है मन्दिरमाफी की जमीन। कुछ तो पूरे गांव ही किसी मूर्ति/मंदिर विशेष की खातेदारी में है। इन पर जो व्यक्ति वर्षों वर्ष से खेती कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण मालिकाना हक, अन्य कगतेदारों की तरह मिलने चाहिए। अधिक से अधिक कोई कीमत, मुआवजा मंदिर ट्रस्ट में जमा करवा लिया जाए।

- महावीर सिंह,
पूर्व आईएएस।

मजदूरी पर निकली महिला से डायन बताकर मारपीट

महिला से अभद्रता कर गांव में नहीं रहने देने की भी धमकी दी

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में घर से मजदूरी जाने निकली महिला को डायन बताकर उसके साथ न केवल जूते से मारपीट की, बल्कि उससे अभद्रता कर गांव में नहीं रहने देने की भी धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपित परिवार की महिलाओं ने मुंह से झूंठा पानी भी पीड़िता पर गिराया। इस घटना को लेकर पीड़िता ने अदालत की शरण लेते हुये इस्तगासे से केस दर्ज करवाया है।

करेड़ा पुलिस के अनुसार, थाना सर्किल की एक महिला ने ईश्वर गुर्जर, भोजा गुर्जर, लाखा गुर्जर, मेवा गुर्जर, प्रभु गुर्जर के खिलाफ इस्तगासे से केस दर्ज करवाते हुए बताया कि ईश्वर गुर्जर राह चलती किसी भी महिला को रोककर उसके साथ अनुचित हरकतें करता है और विरोध करने पर उस महिला के साथ मारपीट और जूता खोलकर जूते से मारपीट करता है। महिला का आरोप है कि ईश्वर गुर्जर ने भोजा, लाखा, मेवा और प्रभु की एक गैंग बना रखी है। 17 दिसंबर 2023 को सुबह आठ बजे वह, मजदूरी करने जा रही थी। वह जैसे ही ईश्वर के घर के बाहर पहुंची

- **आरोपित परिवार की महिलाओं ने मुंह से झूंठा पानी भी पीड़िता पर गिराया**
- **पीड़िता ने अदालत की शरण लेते हुये इस्तगासे से केस दर्ज करवाया है**

थी आरोपित जोर-जोर से चिल्लाते हुए उसे डायन बताते हुए प्रताड़ित किया और धमकी भी दी। इसे लेकर परिवादिया ने इतना ही कहा कि मजदूरी करने जाना पड़ता है, तभी आरोपित ने महिला से अभद्रता करते हुये उसे थप्पड़ मार दिये। वह चिल्लााने लगी तो आरोपित ईश्वर ने अपना जूता खोलकर उसके सिर पर मार दी। इतने में भोजा, लाखा, मेवा और प्रभु को ईश्वर ने आवाज देकर बुलाया और इसके बाद महिला से अभद्रता करते हुये उसके साथ मारपीट की। साथ ही यह कहा कि तू डायन है, तुझे गांव मे नही रहने देंगे। इसी दौरान आरोपितों के घर की औरतें आ गई। जिन्होंने मुंह में पानी भरकर पीड़िता पर कुल्ले फेंके और कहा कि अब तुझे गांव में नहीं रहने देंगे। भोजा ने पीड़िता के कान के सोने के टोप्स खीचे। एक टॉप्स पीड़िता ने बचा लिया। दूसरा टॉप्स आरोपित भोजा ने अपनी जैब में रख दिया। महिला का कहना है इस घटना से वह बहुत परेशान हो गई। वह और उसके बच्चे घर से बाहर निकल पाये। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसने करेड़ा थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश से आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

सबके हिरदे राम बिराजत

अवधपुरी राममय हो रही है, जनकपुरी भी। समूचा राष्ट्र राममय हो रहा है, हर व्यक्ति राममय हो रहा है। काल के कपाल पर एक गाथा का अंकन हो रहा।सबके मन गौरव से परिपूर्ण हो रहे। राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी ज्यों-ज्यों निकट आ रही, हर आम ख़ास व्यक्ति उमंग से भर रहा है।

इस पल को भरपूर जी लें हम। पर ध्यान रखें कि इस पल को फिर बिसरा न दे हम। गौरव के साथ हम अध्यात्म और प्रभु राम की मर्यादा से भी पूर्ण होने का प्रयत्न करें। कहने को तो राम मंदिर के लिए गर्व करें और हमारे हृदय कलुष और मन मलिनता से भरे रहें, तब तो यह आनन्द अधूरा होगा। यह प्रतिष्ठा पूर्णता को प्राप्त हो, इसलिए हमें संकल्पबद्ध होना होगा। कलयुग के पाँव ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे, बुराई का साम्राज्य और पसरेगा, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। ऐसे समय में कुछ उजलेपन को बचा लिया जाना चाहिए।अच्छाई का उत्तरदायित्व स्थिति में और अधिक हो जाता है। तो, प्रभु राम जब सरयू के जल से स्नान कर मृगशिरा के पवित्र पल में अवध के आसन पर विराजमान होंगे, वह घड़ी हमारे परिमार्जन की भी घड़ी होनी चाहिए। अयोध्या की उस स्थली की आभा हम सबके हृदयों तक पहुँचे। मात्र नारों के माध्यम से नहीं, निमज्जन की आकांक्षा के साथ भी। यह कहूँगा कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, हम हमारे हृदयों को मंदिर बना लें। उस समय हमारे हृदयों पर भी प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। हृदय पर राम को प्रतिष्ठित कर हम महती रामकाज सिद्ध करेंगे। इस अर्थ में हम अधिक निर्मल होंगे, अधीन मर्यादित होंगे, अधिक संवेदनशील होंगे, अधिक विनम्र होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसके हृदय पर आसीन हो, वह पुरुष उत्तमता का प्रतीक बन जाएगा। समाज तब शुचिता की ओर अग्रसर होगा, राष्ट्र तब रामराज्य के स्वप्न की सिद्धि को प्राप्त करेगा। यदि रामराज्य हमारा संकल्प है तो इसकी प्राप्ति का एकमात्र विकल्प राम को अपने अंतस् के आँगन पर बिराजमान करना है।

सबके हिरदे राम बिराजत
उच्छाह अवधसम उपजावत
प्राण प्रेमसरयु जू बहिए
आत्म सुखसागर बन जावत।

राम को बिसराना मनुष्य के लिए दुर्गति के द्वार खुलने जैसा है। शास्त्र ने राम को रचा, पर लोक ने उसे आत्मसात् किया। इधर हमारे गाँव देहात में राम हर व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े हैं। राम को नाम के साथ जोड़ने की परंपरा के निहितार्थ बड़े गहरे हैं। राम को न भूलने का संकल्प ही तो है यह। पर यह जुड़ाव का प्रारंभ था, प्रतीक था। इससे हृदय के साथ राम को जोड़ने की मानवीय कामना फलीभूत हुई। भारत के गाँव अयोध्या से कहाँ कम हैं, हमारा लोक किस आलोक से रहित है? हर व्यक्ति राम है वहाँ, मर्यादाएँ स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित हैं। यह समय है, गाँव के साथ शहर को भी, पुनः भान हो राम के स्वरूप का। किंचित् क्षत विक्षत और विरूपित हुए हैं हृद-मंदिर, तो उनका भी जीर्णोद्धार करें। मानवीय महत्ता के मूल मंत्रों को स्मृत करें पुनः, उनसे अभिमंत्रित कर रामरूप को अंगीकार करें। हृदय से राम होंगे स्वीकार, मानवता का होगा तभी उद्धार।

प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। अर्थात् राम उस भव्य मंदिर के गर्भ गृह में शास्त्रोक्त रीति से प्राणवान होंगे। हमारे यहाँ कहते हैं, अरस परस होंगे भगवान। यह भी कहते हमारे यहां, सबरै मन में राम व्यापै। राम व्याप्त हो मन में तो झूठ, क्रोध, लोभ सब तिरोहित हो जाते। तो इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ सबके अन्तस् में भी राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, राम व्यापै सब मन में। वास्तविक प्रतिष्ठा तो तब ही होगी, जब इसकी गूंज कोटि-कोटि जीवों तक पहुँचेगी। राम आएँगे, तो धरती को भी पता चलना चाहिए, आकाश को भी भान होना चाहिए। प्रकृति की मुस्कान बढ़नी चाहिए, प्रदूषण और अनैतिकता के दैत्य समाप्त होने चाहिए। हर देह दीप बन जानी चाहिए, हर कण सूर्यकिरण सा जगमगा उठे। सृष्टि की लय और धुन में किसी पावन सौंदर्य का प्राकट्यय हो। ऐसे भाव सार्वत्रिक हों, कि परोपकार की सिद्धि निमित्त यदि भौतिकता का त्याग हमारे भाग्य में आए, तो हमारे पग अनायास ही प्रेमविटप की पगडंडी पर उठ जाये। शबरी, अहल्या, जटायु, निषाद, वानर के प्रतीक समरसता के आख्यान हैं। हम सब इस समरसता के वाहक बनें। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा एक मंदिर में मूर्ति का स्थापन मात्र नहीं है। यह एक युगप्रवर्तक घटना बन सकती है, बननी चाहिए। राम की प्रतिष्ठा हो और हम अपनी नैतिकता में किंचित् वृद्धि न करें, विडंबना होगी यह तो। काल का यह खंड हमारे विच्छिन्न और विखंडित व्यक्तित्वों को अखंडता का आशीर्वाद दे। भग्न हृदय राम का विश्वास प्राप्त कर जुड़ जाएँ। राम आएँ, तो सत्य का प्रादुर्भाव हो चहुँदिश।

- दशरथ कुमार सोलंकी,
निदेशक वित्त,
जोधपुर विकास प्राधिकरण।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 19 जनवरी 2024

पौष मास शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, विक्रम सम्वत 2080, भरणी नक्षत्र रात्रि 2.50 तक, साध्य योग दिन 12.46 तक, बालव करण प्रात: 8.18 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति - सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मेष, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरु-मेष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में संचार करेगा।

आज रवियोग सम्पूर्ण दिन रात है। मद्यपात योग रात्रि 11.13 से 4.30 तक रहेगा। आज श्री हरि जयंती है।

आज शुक्र मूल धनु में रात्रि 8.56 से प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघडिया - शुभ 12.37 से 1.56 तक, चर - 4.35 से सूर्यास्त तक, लाभ-अमृत 8.40 से 11.18 तक।

राहुकाल - 10.30 से 12.00 तक, सूर्योदय 7.21 सूर्यास्त 5.53

मेष

मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा। घर्-परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी। परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भाग-दौड रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। अर्नगल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आय में वृद्धि होगी।

सिंह

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा।

कन्या

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। परिवार में वाद-विवाद बड सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला

व्यावसायिक सम्पर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

वृश्चिक

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा।

धनु

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मकर

घर-पारंवार में सुख-सुविधाएं बडेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह संपन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है।

कुंभ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी ओर आय में वृद्धि होगी।

मीन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी।